81/2022

-09-22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी सं. 1 के वकील व पैरोकार सरकार उप.।

प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा दोनो पक्षों को सुना गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये अवगत कराया कि प्रार्थीगण का खेत मौजा भूंका वगतसिंह के खसरा नम्बर 26/1 रकबा 6.6419 हैक्टयर का आया हुआ है जो जरिये पंजीयन बैचान 23.01.1973 को खरीद किया गया था, जिसके मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। जो आदिनांक तक निरन्तर चला आ रहा है। इसी खसरे में 4 बीघा भूमि का बेचान श्रीयादेजी का मन्दिर, पुजारी हनुमानदास का आया हुआ है। कि प्रार्थीगण के द्वारा उक्त खरीद सुदा खेत का ग्राम भूंका वगतसिंह में नामान्तकरण 171 दिनांक 06.02.1973 को स्वीकृत किया गया साथ में विभाजन मय अलग खसरा नम्बर 26/1 जारी किया गया व मौके पर कब्जा अनुसार तरमीम भी की गई। और शेष उक्त खसरे की भूमि का नामान्तकरण सं. 172 दिनांक 06.02.1973 को श्रीयादेवी का मन्दिर समस्त जटिया कुम्हार नाम से स्वीकृत किया गया तथा दोनों खसरों की तरमीम भी कर दी। व्रिपार्थीगण सं. 1 को मूल खसरा नम्बर 26 रखा गया। वर्तमान में खसरे सं. 26 व 26/1 के राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते वक्त उक्त खसरो की तरमीम को मौके व बैचान पत्र के अनुसार नहीं रखकर मौके एवं कब्जा काश्त के भिन्न करते हुए पिदे की भूजा को कम कर दिया गया और मुख्य सड़क मार्ग की और अधिक चोड़ा कर दिया गया, वर्तमान में विप्रार्थीगण मौके पर खसरे का रकबा 0.6472 हैक्ट भूमि पर चारदीवारी करने की फिराक में है तथा मौके पर सोलिंग व बजरी डाली हुई है। विप्रार्थी सं. 1 यदि ऐसा करने सफल रहा तो प्रार्थीगण को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिसकी पूर्ति हेतु प्रार्थी को अनावश्यक क्षति होगी। ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि जब तक मौका रिपोर्ट प्राप्त न हो तब तक न तो वह स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से विवादित भूमि के कब्जा काश्त की यथास्थिति बनाये रखे।

इसके विपरित वकील विप्रार्थी सं. 1 ने वजूहद बहस निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग तरमीम की गई है तथा प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 4–00 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी हेतु प्रकरण सं. 98/2018 में तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका कमिश्नर की हैसीयम से दिनांक 21.06.2019 को मौके पर राजस्व अधि. कर्मचारियो द्वारा भूमि की पैमाईश दोनों पक्षों व मौतबरान के रूबरू की गई तथा मौके पर` नेखम चिन्हित कर पक्के नेखम सं. बी से ई स्थापित किये, प्रार्थीगण को इस संबंध में यदि कोई उजर एतराज होता तो तत्समय प्रस्तुत करता। प्रार्थी विप्रार्थीसं. 1 को अनावश्यक परेशान करने की बदनियती स्वरूप यह आवेदन प्रस्तुत किया है, इसके अतिरिक्त पूर्व में एक वाद अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अधि. के तहत मय धारा 212 जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया है, जो श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में एक ही वाद विवाद के तथ्यों के आधार पर अलग–अलग अधिनियम के तहत प्रस्तुत दावों को मय खर्चा हर्जाना के निरस्त फरमाया जावे।

इसमें दोनों पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली के संबंध में अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन विधि के परिप्रेक्ष्य में किया। जिसमें पाया गया कि विवादित भूमि दोनों पक्षो द्वारा जरिये बेचान पत्र स्वअर्जित [illegible] ना.क.स. 06.02.1973 को सं. 172 पर किया गया एवं नये खसरा नम्बर 26/1 [illegible] नम्बर 26 विप्रार्थी सं. 1 के नाम खातेदारी में दर्ज हुआ। विवादित भूमि के कब्जे [illegible] के संबंध में तहसीलदार सिणधरी द्वारा पूर्व में नेखमबंदी की कार्यवाही करते हुए मौके पर कब्जे का मौतिक चिन्हिकरण के पक्के नेखम स्थापित किये गये, जिसके संबंध में यदि प्रार्थीगण को कोई उजर एतराज होता तो अवश्य ही उक्त पालना के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोही करता जिससे यह स्पष्ट हो जाता कि प्रार्थीगण उक्त नेखमबंदी पालना से संतुष्ठ नहीं है। फिर भी प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे एवं काश्त में दखंलदाजी को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय हाजा में एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

वाद अन्तर्गत धारा 188 रा.का. अधि. के तहत प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें विधि के परिप्रेक्ष्य जवाबदावा/विवाद के बिन्दु/साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के परिपेक्ष्य में निर्णय पारित किया जा सकेगा और इसके सलंग्न धारा 212 वास्ते पाने अंतरिम निषेधाज्ञा स्थगन प्रस्तुत कर रखा है। विधि के विधान अनुसार एक ही प्रवृति अथवा इस्तदुआ के लिए अलग–अलग दावों अथवा प्रतिकर प्रस्तुत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का यह आवेदन इस आशय के साथ इसी स्तर पर खारिज किया जाता है कि विवादित भूमि में कब्जे काश्त को लेकर दावा अन्तर्गत धारा 188 एवं उसके सलंग्न धारा 212 वास्ते पाने निषेधाज्ञा रा.का.अधि. के तहत विचाराधीन है जिसमें चाराजोही करते हुए साक्ष्य सबूतों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक चाराजोही/पैरवी करते हुए चाही गई इस्तदुआ के आधार पर आवश्यक परिलाभ प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

14/9/22

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:53 IST
Reason: SelfAttested